32

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

वाद नम्बर 148/2021 दायर दिनांक–30.12.2021

1. महेन्द्र पुत्र गीगराज
2. राजू पुत्र गीगराज
3. सुशीला पुत्री गीगराज
4. निर्मला पुत्री गीगराज
5. सुमन पुत्री गीगराज
6. पिंकी पुत्री गीगराज समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

– वादीगण

बनाम

1. निवासचंद पुत्र नागरमल
2. किशोर कुमार पुत्र शंकरलाल
3. नेमीचंद पुत्र शंकरलाल
4. राकेश कुमार पुत्र शंकरलाल
5. नाना देवी पुत्री शंकरलाल
6. छोटी पुत्री शंकरलाल
7. सुनिता पुत्री शंकरलाल
8. किशोर कुमार पुत्र हीरालाल
9. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल
10. विजय कुमार पुत्र हीरालाल
11. संदीप कुमार पुत्र हीरालाल
12. कमलेश पुत्री हीरालाल
13. संतोष देवी पुत्री हीरालाल
14. गीता देवी पत्नी हीरालाल
15. सुभाष पुत्र बनवारी
16. मनोज पुत्र बनवारी
17. मंजू उर्फ सरोज पुत्री बनवारी
18. ममता पुत्री बनवारी पत्नी संजय
19. सीमा पुत्री बनवारीलाल
20. माना देवी पत्नी बनवारीलाल
21. बबीता देवी पुत्री छोटुराम
22. परमेश्वरी देवी पत्नी बाबुलाल समस्त जाति मेघवाल निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
23. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
24. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बसावा में स्थित भमि खसरा नम्बर 938 रकबा 0.73 है0 व खसरा नम्बर 935 रकबा 0.40 है0 स्थित है जिसे आगे वादपत्र मे विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त भूमि स्व0 गणपतराम पुत्र रता की खातेदारी काश्त की भूमि थी जिसकी वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 02 में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 के पूर्वज गणपत राम के 6 पुत्र थे जो वंशावली मे दर्ज अनुसार है। छः पुत्रों में से वादीगण गीगराज के

हस्ताक्षर
ए.सी.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 अन्य 5 पुत्रों के वारिसान है जो वंशावली में दर्ज अनुसार है। स्व0 गणपतराम की मृत्यु के पश्चात उनका विरासतन राजस्व रिकॉर्ड मात्र 5 पुत्रों नागर, शंकर, हीरा, बनवारी व छोटू पुत्रान् गणपतराम के नाम से दर्ज हुआ जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वारिसानों की जांच किये बिना दर्ज कर दिया जबकि स्व0 गणपत के छः पुत्र थे। हालांकि मौके पर वादग्रस्त भूमि को छः हिस्सों में बांट रखा है। तथा अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहे है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि मे वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 नागरमल का वारिस है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 स्व0 शंकरलाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 14 स्व0 हीरालाल के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 स्व0 बनवारी के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 21 स्व0 छोटुराम के वारिस है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 व प्रतिवादी संख्या 22 ने बाला बाला आपस मे समझौता किया जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 के अलावा सभी ने अपने नाम गलत दर्ज हिस्सों मे से 1/3 हिस्से के विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 22 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 9/35 व 1/18 हिस्सा दर्ज हो गया तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के नाम से दर्ज है। उपरोक्त गलत रूप से हिस्से से अधिक भूमि के तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र व गलत दर्ज हिस्सा वादीगण के हक अधिकारों के विपरीत असर शुन्य है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में से 1/6 हिस्सा है और वादीगण का अलग अलग व्यक्तिगत हिस्सा प्रत्येक का क्रमशः 1/36–1/36 है जिसकी घोषणा किये जाने हेतु वाद पत्र पेश किया है।

वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/6 है जो वादीगण को अपने पूर्वज गणपतराम से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 आता है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 22 को अंतरित की हुई जमीन कम की जाकर शेष हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का शामलाती रूप से हिस्सा 1/6 था जिसमें से प्रतिवादी संख्या 22 को अंतरित की गई जमीन कम की जाकर शेष हिस्सा है, प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 20 का हिस्सा 1/6 था जिसमें से प्रतिवादी संख्या 22 को अंतरित की गई जमीन कम की जाकर शेष हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 21 का हिस्सा 126 था जिसमें से प्रतिवादी संख्या 22 को अंतरित की गई जमीन कम की जाकर शेष हिस्सा है। इसी प्रकार हक हिस्से की घोषणा की जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त वाद पेश किया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बसावा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 938 रकबा 0.73 है0 खसरा नम्बर 939 रकबा 0.40 है0 भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 328/3150 प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 8658/567000 का, प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा 1/36 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 8658/567000, प्रतिवादी संख्या 08 को हिस्सा 1/42, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 प्रत्येक को हिस्सा 253/18900, प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 प्रत्येक को हिस्सा 328/18900 का, प्रतिवादी संख्या 21 को हिस्सा 328/3150, प्रतिवादी संख्या 22 को हिस्सा 197/630 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के 1/6 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा नही करें तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कोई अंतरण का दस्तावेज तस्दीक नही करें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने परं तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी महेन्द्र पुत्र गीगराज का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत 13 नकल जमाबंदीयां सम्वत् 2019 से संवत् 2078, प्रदर्श–14 लगायत 20 वादी महेन्द्र व पिता गिगराज के पहचान संबंधी दस्तावेज आदि पेश किये।

शहादत पेश होने बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रिक भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड गणपतराम पुत्र रता के नाम से दर्ज रिकॉर्ड था जिसकी मृत्यु के पश्चात विरासतन भूमि राजस्व रिकॉर्ड पांच पुत्रों के नाम दर्ज हुआ परन्तु गणपतराम के छः वे पुत्र गीगराज पुत्र गणपतराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया। जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर गीगराज पुत्र स्व0 गणपतराम को स्व0 गणपतराम के हिस्से में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

Ewa/ 18
ए.सी.जे.एम. (क.न्या.)
नगरनगर

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 938 रकबा 0.73 है0 खसरा नम्बर 939 रकबा 0.40 है0 भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 328/3150 का, प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 8658/567000 का, प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा 1/36 का, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 8658/567000 का, प्रतिवादी संख्या 08 को हिस्सा 1/42 का, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 प्रत्येक को हिस्सा 253/18900 का, प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 प्रत्येक को हिस्सा 328/18900 का, प्रतिवादी संख्या 21 को हिस्सा 328/3150 का, प्रतिवादी संख्या 22 को हिस्सा 197/630 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को 1/6 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा नही करें तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कोई अंतरण का दस्तावेज तस्दीक नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

35

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संः– 148/2021 **(महेन्द्र बनाम निवासचंद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 938 रकबा 0.73 है0 खसरा नम्बर 939 रकबा 0.40 है0 भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 328/3150 का, प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 8658/567000 का, प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा 1/36 का, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 8658/567000 का, प्रतिवादी संख्या 08 को हिस्सा 1/42 का, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 प्रत्येक को हिस्सा 253/18900 का, प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 प्रत्येक को हिस्सा 328/18900 का, प्रतिवादी संख्या 21 को हिस्सा 328/3150 का, प्रतिवादी संख्या 22 को हिस्सा 197/630 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को 1/6 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा नही करें तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कोई अंतरण का दस्तावेज तस्दीक नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

28/06/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0.00
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		